



पुलिस उपायुक्त कार्यालय, काशी जोन, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस-नोट

दिनांक- 20.06.2024

विषय:- आनरोड निर्मम हत्या कर भागने वाले अज्ञात अभियुक्तगणों को थाना सिगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत श्रीमान पुलिस उपायुक्त काशी जोन व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त काशी जोन व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त/ सहायक पुलिस आयुक्त चेतगंज के कुशल नेतृत्व में थाना सिगरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0161/2024 धारा 147/504/506/302 भा0द0वि0 थाना- सिगरा कमि0 वाराणसी से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. राहुल कुमार बाल्मिकी पुत्र दशमी बाल्मिकी निवासी म.न. डी 59/360 माधोपुर थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष , 2. कन्हैया उर्फ शिवम गौड़ पुत्र सुरेश गौड़ निवासी लेहूपुर ममता हास्पिटल के पास आशापुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष , 3. एक बाल अपचारी उम्र 15 वर्ष को अमूल डेरी के पीछे लहरतारा से मण्डुवाडीह जाने वाले मार्ग पर थाना सिगरा दिनांक 20.06.2024 को गिरफ्तार कर घटना कारित होने के 24 घन्टे के अन्दर घटना का सफल अनावरण किया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- वादी मुकदमा सुनील कुमार पुत्र रमेश बाल्मिकी निवासी- सी 33/58 दयानगर छित्तपुर की लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 0161/2024 धारा 147/504/506/302 भा0द0वि0 थाना- सिगरा कमि0 वाराणसी में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें वादी मुकदमा द्वारा बताया गया कि मेरे भाई अनिल कुमार बाल्मिकी जिसकी उम्र 34 वर्ष है। प्रभात काम्पलेक्स टी0बी0 शोरूम के सामने सफाई कर्मी काम करता है मेरा भाई अक्सर अपने दोस्त जग्गू पाण्डेय जो कि सोनिया पोखरा के पास का रहने वाला है के साथ रहता था। दिनांक 18-06-2024 को शाम करीब 8 बजे के दवा लेने कि बात बताकर घर से गया और देर रात तक वापस घर नहीं आया तो उसकी तलाश करना शुरू कर दिया, और तलाश करते हुऐ नटराज टकीज देशी शराब ठेका के पास पहुँचे तो देशी शराब ठेका पर उसके दुकानदार व आस-पास के लोगो ने बताया कि अपना भाई- अनिल अपने साथी- जग्गू पाण्डेय के साथ आये थे और पीये खाये थे और पान कि दुकान के बगल चबुतरे पर बैठे थे कि समय करीब 11.45 बजे रात्रि के आस-पास पाँच अज्ञात व्यक्ति बाईक एवं स्कूटी से आये और अपने भाई से कुछ कहा सुनी होने लगी तो सभी अज्ञात व्यक्ति माँ-बहन की गन्दी-गन्दी गलीयाँ देते हुऐ जान से मरने की धमकी देने लगे जब उसका विरोध किया तो सभी लोग मिलकर लात-धूसो व ईट पत्थर से बुरी तरह जान से मरने के नियत से मार पीट कर उसकी हत्या कर दिये। उक्त के सम्बन्ध में थाना सिगरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी है।

घटना के अनावरण में पुलिस टीम के कार्य-

घटना के सफल अनावरण के सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक सिगरा द्वारा अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीम गठित कर घटना के अनावरण हेतु अलग अलग कार्य वितरण करते हुए लगभग 80-90 त्रिनेत्र कैमरे व आस पास के सीसीटीवी कैमरो की फुटेज के आधार पर देखा गया तो अभियुक्तगण का घटना कारित करने से पूर्व उनके आने व जाने का रास्ता व घटनास्थल पर मारपीट का फुटेज प्राप्त हुआ जिसे आसपास के लोगो से दिखाकर पहचान किया गया तो अभियुक्तगण का लोगो द्वारा पहचान हो गयी बताये कि साहब उक्त सभी मनबढ़ किस्म के व्यक्ति आये दिन मारपीट व छिनैती करते रहते है। बाद पहचान सर्विलांस आदि की मदद से अभियुक्तगणों का पहचान करते हुए घटना के 24 घन्टे के अन्दर घटना में शामिल अभियुक्तगणों को गिरफ्तारी करते हुए घटना का सफल अनावरण किया गया।

विवरण पूछताछ - अभियुक्तगण पूछने पर बता रहे है दिनांक 18.06.24 की रात्रि करीब 11.00 बजे हम लोग कन्हैया उर्फ शिवम, विशाल बिन्द, व (बाल अपचारी), रोहित व राहुल के साथ साई मंदिर माधोपुर के पास शराब पीये। शराब पीने के बाद हम सभी पांचो मित्र गोदौलिया के लिये मौके से निकले, मौके से राहुल, विशाल व कन्हैया मोटरसाइकिल पर बैठ कर निकले व रोहित व (बाल अपचारी) ,स्कूटी से निकले हम लोग शिवम हास्पिटल सिगरा पेट्रोल पंप होते हुए रथयात्रा चौराहा की तरफ जा रहे थे और जैसे ही तनिष्क ज्वैलर्स के पास पहुंचे थे तभी रोहित व(बाल अपचारी) ने गाड़ी मोड़ने के लिये कहा और हम लोग अपनी गाड़ी मोड़कर स्वास्तिक सिटी सेन्टर के सामने दूसरी तरफ खड़ा कर दिये। स्वास्तिक सिटी सेन्टर के सामने रोड के दूसरी तरफ दो व्यक्ति नशे की हालत में लेटे हुए थे उन्ही में से एक व्यक्ति के साथ रोहित व(बाल अपचारी) बहस करने लगे और थोड़े देर बाद उस व्यक्ति से रोहित व(बाल अपचारी) मारपीट करने लगे। मारपीट देखकर राहुल, कन्हैया व विशाल मौके पर आ गये और रोहित व(बाल अपचारी) को बचाने लगे इसी बीच वह व्यक्ति हम लोगो के साथ भी मारपीट करने लगा । इस मारपीट में वहा पडा हुआ व्यक्ति बेहोश हो गया और विशाल चोटिल हो गया । इसके बाद हम सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चले गये । फिर देर रात करीब दो बजे राहुल और कन्हैया घटना वाली जगह खोज खबर लेने के लिये गये तो देखे कि मौके पर काफी लोग व पुलिस मौजूद थी फिर हम लोगो को लगा कि मामला गंभीर है इसलिये हम दोनो लोग अपने अपने घर चले गये और छिप कर रहने लगे । आज राहुल, कन्हैया व (बाल अपचारी) के साथ बनारस छोड़कर भागने के प्रयास में थे तभी पुलिस ने अमूल डेयरी के पास से गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम पता व उम्र-

1. राहुल कुमार बाल्मिकी पुत्र दशमी बाल्मिकी निवासी म.न. डी 59/360 माधोपुर थाना सिगरा जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष ,
2. कन्हैया उर्फ शिवम गौड़ पुत्र सुरेश गौड़ निवासी लेहूपुर ममता हास्पिटल के पास आशापुर थाना सारनाथ जनपद वाराणसी उम्र 22 वर्ष ,
3. बाल अपचारी उम्र 15 वर्ष

बरामदगी का विवरण- 1- एक अदद स्कूटी रजि0 नं0 UP 65ED 4080 रंग नीला एक्टिवा
2- घटना कारित करने में प्रयुक्त पत्थर व ईट ।

आपराधिक इतिहास- आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री राजू सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. हे0का0 अभय नारायण सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. हे0का0 राकेश कुमार सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
4. का0 अनूप कुशवाहा थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
5. का0 मृत्युंजय सिंह, थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
6. का0 चिन्ताहरण तिवारी, थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
7. का0 अमित यादव, थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
8. हे0का0 सत्येश राय सर्विलांस सेल सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।
9. चालक हे0का0 अनिल कुमार सिंह थाना सिगरा कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त कार्यालय
जोन-काशी कमि0 वाराणसी